संख्या 4/1/2001/का–2/2002

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र०।

लखनऊ : दिनांक 13 मई, 2003

विषयः– पदोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

शासनादेश संख्या 4/1/2001/का-2/2002, दिनांक 25 जून, 2002 द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण नीति लागू करने के लिए रोस्टर जारी किया गया है।

2–संदर्भगत शासनादेश के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं और पदों में प्रोन्नति के प्रक्रम पर भी " किसी भर्ती वर्ष में अनुसूचित जनजातियों अथवा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिए उस आरक्षित वर्ग का कोई कार्मिक उपलब्ध न हो तो यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति की रिक्ति को अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त कार्मिक से, तथा अनुसूचित जाति की रिक्ति को अनुसूचित जनजाति के कार्मिक से भरा जा सकता है। अनुसूचित जनजातियाँ या अनुसूचित जातियों, यथास्थिति, के लिए विनिर्दिष्ट कोई रिक्ति घटित होते ही अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उस पदोन्नत व्यक्ति को उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा।"

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव।

संख्या 4/1/2001(1)/का–2/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को प्रेषित।

आज्ञा से,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 5 सा० नियुक्ति–9.7.2003–(630)–3000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।